UPHR010037852024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–04 हरदोई

उपस्थित – यशपाल, एच०जे०एस०, (जे०ओ० कोड नं०–UP1867)

आपराधिक पुनरीक्षण सं०– 155/2024

बलवीर पुत्र छेदा, निवासी ग्राम डिघिया, थाना बेहटा गोकुल, जिला – हरदोई।

----------पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. उ०प्र० सरकार द्वारा डी०जी०सी०, हरदोई।

2. सूर्यपाल पुत्र बालकराम
3. आयूष पुत्र सूर्यपाल
4. संजय दीक्षित पुत्र रामदयाल दीक्षित

सर्व निवासीगण मोहल्ला मुरीदखानी अम्बेदकर नगर, कस्बा व थाना पिहानी, जिला हरदोई।

----------विपक्षीगण/उत्तरदातागण

निर्णय

1. प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पुनरीक्षणकर्ता बलवीर के द्वारा विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, हरदोई द्वारा प्रकीर्ण वाद सं० – 18158/2022, बलवीर बनाम सूर्यपाल आदि में पारित आदेश **दिनांकित 21.05.2024** से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया गया है।

2. पुनरीक्षणकर्ता बलवीर ने दिनांक 17.08.2022 को न्यायालय जे०एम०, द्वितीय, हरदोई में इस आशय का **परिवाद पत्र** प्रस्तुत किया कि परिवादी व विपक्षी आपस में रिश्तेदार हैं, इसीलिये आना जाना है। लगभग 3 वर्ष पूर्व पत्नी की बीमारी का बहाना बताकर परिवादी से 10,000 रूपये उधार लिये थे, लेकिन काफी मांगने के बावजूद वापस नहीं किये। जब परिवादी ने पुलिस में जाने की धमकी दी, तो विपक्षी ने 30.7.22 को हरियावां मिल गेट के आगे कुरसेली जाने वाले मोड़ पर पिहानी रोड पर विपक्षी ने

Digitally signed by YASHPAL
Date: 2026.03.11 16:51:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पैसा लेकर 12 बजे दिन में आने का वादा किया। जब परिवादी पैसा लेने गन्ना मिल गेट से पहले ग्राम कुरसेली जाने वाली सड़क पर पिहानी रोड पर पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद सूर्यपाल पुत्र बालकराम अपनी लाइसेन्सी दोनाली बन्दूक लेकर उनका पुत्र आयुष व उनके मित्र संजय दीक्षित मिले, जब परिवादी ने पैसे मांगे तो विपक्षीगण ने गाली गलौज कर कहा पैसे मांगते हो और लात घूंसो से मारा पीटा तथा प्रार्थी की जेब में पड़े 2,250 रूपये भी लूट लिये तथा सूर्यपाल ने परिवादी की कनपटी पर अपनी लाइसेन्सी दोनाली बन्दूक लगाकर जान से मारने की कोशिश की। राहगीरों ओम नरायन, श्रीराम सहित तमाम लोग दौड़ पड़े तब विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। परिवादी ने उक्त घटना की सूचना थाना हरियांवा में दी मगर काफी दिन दौड़ने के बाद परिवादी की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। तब परिवादी ने हरदोई आकर श्रीमान जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक हरदोई को जरिये रजिस्टरी प्रार्थना पत्र दिये कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय श्रीमान जी में यह परिवाद प्रस्तुत कर रहा है।

3. संक्षेप में **आपराधिक पुनरीक्षण के आधार** इस प्रकार है कि अवर न्यायालय ने धारा 200 दं०प्र०सं० व धारा 202 दं०प्र०सं० के बयानों का परिशीलन नहीं किया और मनमाने ढंग से दिनांक 21.5.24 का आदेश पारित करके महान भूल की है। अवर न्यायालय ने अपने आदेश में कहीं भी धारा 200 दं०प्र०सं० व धारा 202 दं०प्र०सं० में गवाहान ने क्या कथन किया है, इसका अंकन नहीं किया और सीधे परिवाद के तथ्यों को सिविल प्रकृति का मानकर दिनांक 21.5.2024 का आदेश पारित महान भूल की है। उपरोक्त मामला मारपीट, गाली, गलौज व लूटमार व जान माल की धमकी दिये जाने के संबंध में था, जो फौजदारी प्रकृति का है। इस प्रकार माननीय अवर न्यायालय ने फौजदारी प्रकृति के तथ्यों को दरकिनार कर दिनांक 21.5.2024 का आदेश पारित कर महान भूल की है। माननीय अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.5.24 विधि एवं संविधान के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी का यह प्रथम रिवीजन प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अन्य कोई रिवीजन / अपील प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत आदेश विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण हर प्रकार से निरस्त होने योग्य है । अतः पुनरीक्षण स्वीकार करके अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 21.05.2024 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. उत्तरदातागण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पर **आपत्ति** प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि रिवीजनकर्ता के विरुद्ध एक वाद सूर्यपाल बनाम अरुण कुमार आदि थाना हरियावां, जिला हरदोई न्यायालय श्रीमान जे०एम०, द्वितीय, हरदोई में विचाराधीन है, जिसमें रिवीजनकर्ता अभियुक्त है। उक्त मुकदमे में अवर न्यायालय का

आदेश विधि अनुसार है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। उक्त वाद में आदेश दिनांकित 21.05.2024 विधि एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप है। माननीय अवर न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय पत्रावली का भलीभांति परिशीलन कर आदेश विधि अनुसार पारित किया गया है। पुनरीक्षण गलत तथ्यों पर प्रस्तुत की गयी है, जो निरस्त होने योग्य है। रिवीजनकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण अपने बचाव में प्रस्तुत की गयी है, जो हर तरह से विधि विरुद्ध है। अवर न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय किसी प्रकार की भूल नहीं की गयी है। रिवीजनकर्ता द्वारा अवर न्यायालय की पत्रावली पर गलत साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः आपत्ति स्वीकार कर पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 21.05.2024 विधि सम्मत है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण निरस्त की जाए।

6. मैंने, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पुनरीक्षण पत्रावली और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का सम्यक् परिशीलन किया।

7. प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र के निराकरण हेतु मुख्य अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या आलोच्य आदेश दिनांकित 21.05.2024 के निष्कर्ष में, शुद्धता, वैधता या औचित्य अथवा कार्यवाही की नियमित्ता के सम्बंध में किसी त्रुटि के आधार पर, हस्तक्षेप किये जाने योग्य है?

8. **धारा–397 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अंतर्गत दाण्डिक आदेशों का पुनरीक्षण का प्रावधान है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत किसी अवर दण्ड न्यायालय के समक्ष की गयी किसी कार्यवाही के अभिलेख को, किसी अभिलिखित या पारित किये गये निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय के किन्हीं कार्यवाहियों की नियमिता के बारे में परीक्षा कर सकता है या अभिलेख मंगा सकता है।

9. **प्रश्नगत आदेश दिनांकित 21.05.2024** के अंतर्गत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय द्वारा परिवादी का परिवाद धारा–203 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरस्त किया गया है। न्यायालय को देखना है कि क्या प्रश्नगत आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि कारित की गयी है अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी कोई अनियमितता कारित की गयी है।

10. विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली, बलवीर बनाम सूर्यपाल आदि, प्रकीर्ण

वाद संख्या–18158/2022, का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी बलवीर द्वारा दिनांक 17.08.2022 को परिवाद पत्र विपक्षीगण सूर्यपाल, आयुष एवं संजय के विरुद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, हरदोई के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा उसी दिन परिवाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात परिवादी बलवीर द्वारा धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत स्वयं का बयान तथा धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पी०डब्लू० 1 के रूप में श्रीराम व पी०डब्लू० 2 के रूप में ओमनारायण को प्रस्तुत कर न्यायालय में बयान अंकित कराया गया। दिनांक 21.05.2024 को विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी का परिवाद धारा–203 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत खारिज किया गया।

11. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आदेश में यह उल्लेख किया है कि प्रार्थी और विपक्षीगण के मध्य मुख्य रूप से सिविल प्रकृति का विवाद है, जिसके संबंध में वह दीवानी का वाद दायर कर सकता है, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा जो कथन परिवाद पत्र में किए गए हैं, वे दाण्डिक प्रकृति के हैं, दीवानी प्रकृति के नहीं हैं। उभयपक्ष के मध्य उधारी का विवाद जो बताया गया है, वह केवल घटना का कारण हो सकता है, परिणाम नहीं।

12. प्रश्नगत आदेश दिनांकित 21.05.2024 में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, हरदोई द्वारा परिवादी के बयान अंतर्गत धारा–200 एवं उसकी ओर से **पी०डब्लू०–1** के रूप में परीक्षित साक्षी **श्रीराम** एवं **पी०डब्लू०–2** के रूप में परीक्षित साक्षी **ओमनारायण** द्वारा दिए गए बयान अंतर्गत धारा–202 दं०प्र०सं० के संबंध में न तो कोई उल्लेख आदेश में किया है और न ही विश्लेषण किया गया है और न ही कोई निष्कर्ष ही दिया और न ही ऐसा कोई कारण ही उक्त आदेश में दर्शित है। इससे स्पष्ट है कि परिवादी के बयान अंतर्गत धारा–200 एवं उसकी ओर से पी०डब्लू०–1 के रूप में परीक्षित साक्षी श्रीराम एवं पी०डब्लू०–2 के रूप में परीक्षित साक्षी ओमनारायण द्वारा दिए गए सशपथ साक्ष्य को भी न्यायालय द्वारा ग्रहण न करके और उस पर निष्कर्ष न देकर विधिक त्रुटि कारित की गयी है।

13. उपरोक्त विवेचित तथ्यों व समस्त विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, हरदोई द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांकित 21.05.2024 को पारित करने में विधि तथा तथ्य से संबंधी त्रुटि कारित की गयी है एवं तात्विक अनियमितता कारित की गयी है। अतः दाण्डिक पुनरीक्षण **स्वीकार** किये जाने योग्य है।

आदेश

14. आपराधिक पुनरीक्षण संख्या–155/2024, बलवीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि, **स्वीकार** किया जाता है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, हरदोई, द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या–18158/2022, बलवीर बनाम सूर्यपाल आदि में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 21.05.2024 **अपास्त** किया जाता है।

15. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, हरदोई को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्णय में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में पुनरीक्षण में किये गये संप्रेक्षण के प्रकाश में उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

16. इस निर्णय की प्रतिलिपि संबंधित विद्वान अवर न्यायालय को विधि के अनुसार निर्णय में व्यक्त किये गये दिशा–निर्देश/अभिमत के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अविलंब भेजी जाये।

17. तलबशुदा पत्रावली नियमानुसार विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, हरदोई को विधिनुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

18. उभयपक्ष संबंधित अवर न्यायालय के समक्ष **दिनांक 13.04.2026** को उपस्थित हों।

(यशपाल)

दिनांक–11.03.2026 **अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4,**

हरदोई।

जे०ओ०कोड–UP1867

यह निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

(यशपाल)

दिनांक–11.03.2026 **अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4,**

हरदोई।

जे०ओ०कोड–UP1867